


06/12/2024


V

वकील अपीलेंट उपस्थित / उत्तरदाता
 अपीलेंट 01 के वकील अनुपस्थित।
 शेष उत्तरदाता उपस्थित / वकील अपीलेंट
 की ओर से संबोधित जीविक पेश किया
 गया, जो शपथ मिलाने में उमदापत्र
 अतिरिक्त की पुराना कृती गई। वैसे वह
 वकील अपीलेंट ने निवेदन किया कि अपीलेंट
 शपथ के कारण से आलोच्य अपीलेंट में
 सारवाहू रूप से ही है क्योंकि आलोच्य
 अपीलेंट में हालत आधा 42 पारित
 किया गया है। प्रोहरालक के पत्र होने
 पर वारिसा 2 नामानकल म्वा म्वा। अपीलेंट
 द्वारा उत्तरदाता अपीलेंट 01 को हस्तक नाम
 के पारित शपथ की गई थी, लेकिन वाम
 पत्र द्वारा अपीलेंट का एक ईसा होने
 के उपरान्त आलोच्य नामानकल म्वा
 वाम अपीलेंट का शपथ वामदेवी से
 समाप्त कर दिया गया। वैसे वेता
 मने की उत्तरदाता अपीलेंट 05 को
 कोई विविक अधिकार नहीं था।
 अतः मैं निवेदन किया कि आलोच्य


 उपखण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालोतरा

महाड सुभाट मार आंशीक हकीफार की जातरी
 है तथा वहां पंचायत कलपाणदुर के
 नामानुसंग वक्रमा 2818 पर पारित संसद
 मार पंचायत कलपाणदुर के आदेश क्रमांक
 20.8.2023 को अमान्य कर लया।
 इन निर्देशों के बावजूद तहसीलदार कलपाणदुर
 को उपरोक्त मीमा जाता है कि अपीलाधी
 मार में पारित संसद वक्रमांक 20230314/
 100542 क्रमांक 12.4.2023 की कार्यवाही
 पारित करते हुए अपीलाधी मार मार
 का नामानुसंग वक्रमांक के तहत ले निमाउया
 पारित करें।

आदेश कानून मार।
 पंचायती मार कलपाणदुर मार मार
 पारित करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालोतरा 06.12.2024